न्यायालय सहायक कलक्टर ,भरतपुर
पीठासीन अधिकारीः— पुश्कर कुमार मिततल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—43/2016

1. चमेली देवी पत्नि हरीसिंह
2. बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह
3. नत्थोदेवी
4. सन्तोदेवी
5. अंगूरी देवी
6. मुन्नी देवी
7. सुशीला देवी

पुत्रियान हरीसिंह जातियान जाटव निवासियान ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर

.वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 का त0 अधि0 नियम 1955

निर्णय

दिनांक 01—03—2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए.विरूद्ध प्रतिवादी इस आ शय का पेश किया है कि वाके ग्राम महचौली तहसील भरतपुर स्थित हाल आ0ख0नं0 653 रकवा 0.31 है0जो कि साविक ख0नं0 661 मिन रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा से निर्मित हुआ है,के वादीगण पुस्तैनी रूप से काबिज व मालिक काश्तकार हैं तथा राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज हैं ।

उक्त विवादित आराजी वादीगण के पति व पिता हरीसिंह पुत्र चिरन्जी को भूमिहीन होने के कारण उप जिलाधीश भरतपुर के आदेश क्रमॉक 2293 दिनॉक 28.5.1971 के द्वारा आवंटित की गई थी । जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल नं0 198 वादीगण के पति व पिता हरीसिंह के नाम तस्दीक कर उसे उक्त आराजी पर गैरखातेदार दर्ज किया गया।

वादीगण के पति व पिता हरीसिंह उक्त आराजी पर आवंटन होने के बाद से काविज व मालिक हो गये थे और बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे थे जिसको पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं किया गया है ।

वादीगण के पति व पिता हरीसिंह की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक गैरखातेदारी का इन्द्राज किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है ।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीागण को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार का इन्द्राज किया जावे । प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाई दवामी से पावंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत व हानिकारक प्रभाव पडता हो । वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में नकल जमाबंदी संवत् 2069–72,नकल एवं संवत् 2027–, मिलान क्षेत्रफल और आवंटन प्रमाण–पत्र दिनॉक 28.5.1971 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2013–17,2069–2072 पेश की हैं ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया । प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर दिनॉक 01.3.2017 को अपना जबाव दावा प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है । दावा व जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं0 1ः– ''आया वाके ग्राम महचौली तहसील भरतपुर स्थित साविक आराजी ख0नं0661 मिन रकवा 2 बीघा 2 विस्वा वादीगण के पति/पिता को आवंटन से प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण आवंटी हरीसिंह के वारिसान के रूप में गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं,के आधार पर वादीगण गैरखातेदार से खातेदारी के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।''

.....वादीगण

तनकी नं0 2ः– ''आया वादीगण ने विवादित आराजी पर कब्जे बावत् कोई सबूत पेश नहीं किया है और नॉ ही दावा पूर्व 80 सी.पी.सी.का नोटिस दिया है । दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है पेश करने से ।''

.....प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3.दादरसीः–

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । साक्ष्य वादी में गवाह बहादुरसिंह एवं चमेली देवी के शपथ–पत्र पेश हुए जो कि संलग्न पत्रावली हैं । अन्य साक्ष्य न आने पर दिनॉक 06.12.2017 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई ।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया । तनकी वाइज विवेचना निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1ः– ''आया वाके ग्राम महचौली तहसील भरतपुर स्थित साविक आराजी ख0नं0661 मिन रकवा 2 बीघा 2 विस्वा वादीगण के पति/पिता को आवंटन से प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण आवंटी हरीसिंह के वारिसान के रूप में गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं,के आधार पर वादीगण गैरखातेदार से खातेदारी के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।'' इस तनकी को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व वादीगण का है । वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में उप जिलाधीश भरतपुर का आवंटन आदेश क्रमॉक 2291 दिनॉक 28.5.1971 पेश किया है जिसके अनुसार वाके ग्राम **महचौली** स्थित साविक ख0नं0 661 में 2 बीघा 2 विस्वा का आवंटन हरीसिंह पुत्र चिरन्जी को किया गया है । जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2027 लगायत 2030 से होना प्रमाणित है । इसके अतिरिक्त हरीसिंह को उक्त आराजी का आवंटन होने के बाद इन्तकाल नम्बर 198 भी उसके पक्ष में खोला गया है । आवंटन के बाद हरीसिंह को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज किया गया । हरीसिंह की मृत्यु के बाद साविक खसरा नम्बर 661 मिन से बन्दोबस्त विभाग द्वारा निर्मित किया गया हाल ख0नं0 653/0.31 पर हरीसिंह के स्थान पर उसके वारिसान जो वादीगण हैं के नाम नामान्तकरण खुलने से राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज हैं जिसकी पुष्टि हाल जमाबंदी 2069–2072 से होती है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चूँकि उक्त आराजी वादीगण के पति/पिता गैर खातेदार हरीसिंह को आवंटन से प्राप्त हुई थी उसके मरणोपरान्त वादग्रस्त आराजी वादीगण को गैरखातेदार के रूप में प्राप्त हुई है और वे उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । इसलिए इनको गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया जाना न्याय सुसंगत है । अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 2:– ''आया वादीगण ने विवादित आराजी पर कब्जे बावत् कोई सबूत पेश नहीं किया है और नहीं दावा पेश करने से पूर्व 80 सी.पी.सी.का नोटिस दिया है । दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है । इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है । प्रतिवादी ने अपनी इस तनकी के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं है । इसके विपरीत वादीगण ने खसरा गिरदावरी संवत् 2043 से 2046 एवं संवत् 2069 लगायत 2072 पेश की हैं जिससे पूर्णतः सावित होता है कि उक्त आराजी पर वादीगण द्वारा काश्त की जा रही है । और आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की है । अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

3–दादरसीः–दावा वादीगण वादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम महचौली तहसल भरतपुर स्थित हाली आराजी खसरा नं0 653 रकवा 031 है0 पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उनके नाम हो रहे गैर खातेदार के इन्द्राज कलमजन किये जाते हैं।तद्नुसार पर्चा डिक्री कायम हो । निर्णय आज दिनॉक 01.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official